भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

27.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3943 का उत्तर

रेलवे के अंतर्गत अवसंरचना का विकास

3943 श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कवच 4.0 (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और वे विशिष्ट कारण क्या हैं जिनकी वजह से 68,000+ किलोमीटर के लक्ष्य के मुकाबले 2026 की शुरुआत तक केवल लगभग 1,306 किलोमीटर मार्गों पर उक्त प्रणाली शुरू हो पाई हैं;

(ख) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) की राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है और क्या मंत्रालय को सक्रिय स्टेशनों पर एक साथ चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से यात्रियों को होने वाली अत्यधिक असुविधा और सुरक्षा संबंधी खतरों की रिपोर्ट मिली हैं; और

(ग) क्या रेलवे की आय के सामान्यीकरण को ध्यान में रखते हुए, बुज़ुर्ग यात्रियों को राहत देने के लिए 2026-27 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायतें फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में किए गए विभिन्न संरक्षा उपायों के परिणामस्वरूप, दुर्घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आई है।

परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	**परिणामी दुर्घटनाएं**
2014-15	135
2025-26 (28.02.2026 तक)	14 (90% की कमी)

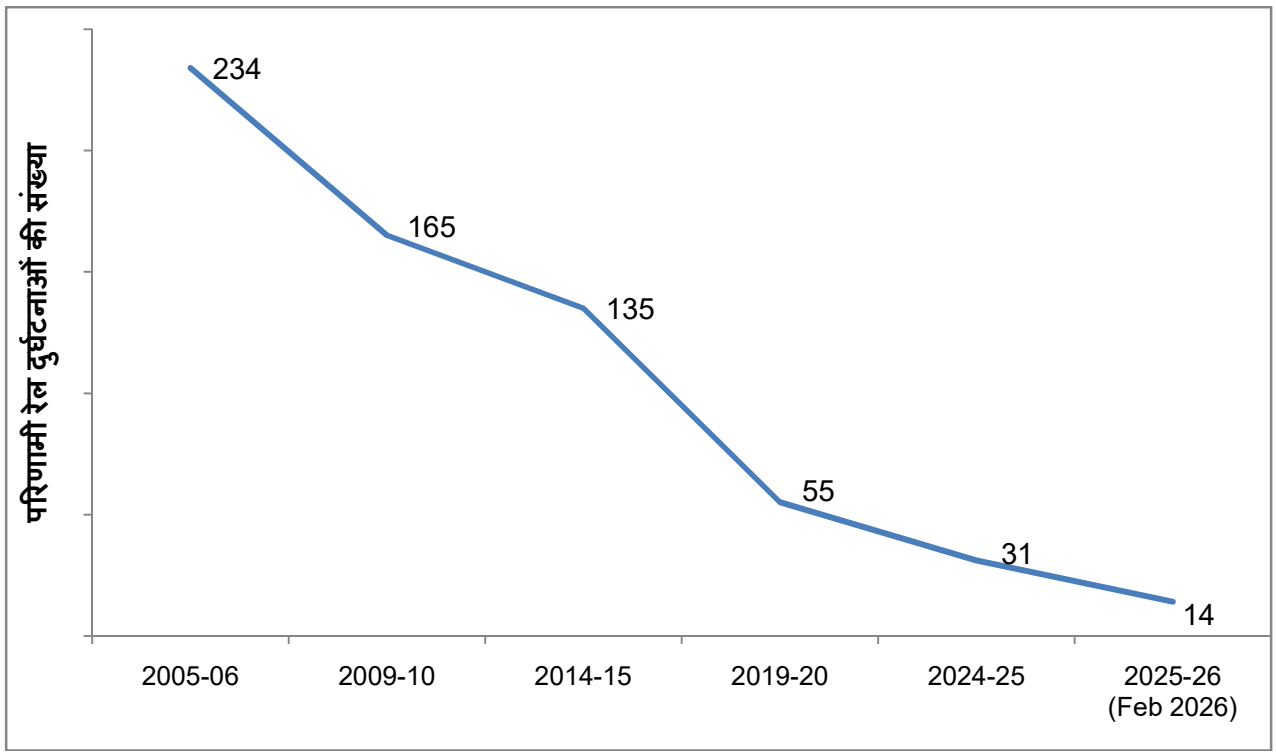
रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार दर्शाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक परिणामी दुर्घटना सूचकांक है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

परिणामी दुर्घटना सूचकांक:-

वर्ष	दुर्घटना सूचकांक
2014-15	0.11
2024-25	0.03 (73% की कमी)

यह सूचकांक सभी रेलगाड़ियों के कुल चालन किलोमीटर के अनुपात के रूप में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या को मापता है।

$$\text{दुर्घटना सूचकांक} = \frac{\text{परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या}}{\text{रेलगाड़ियों की संख्या} \times \text{मिलियन किलोमीटर चालन}}$$



भारतीय रेल में होने वाली परिणामी रेल दुर्घटनाएँ और उसमें होने वाले हताहतों (जिसमें रेलयात्री और रेलकर्मी शामिल हैं) निम्नलिखित हैं:-

अवधि	परिणामी रेल दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या	घायलों की संख्या
2004-25 से 2013-14	1711	904	3155
2014-15 से 2023-24	678	748	2087
2024-25	31	18	92

रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा का संवर्धन करने के लिए किए गए विभिन्न संरक्षा संबंधी उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. भारतीय रेल में पिछले कुछ वर्षों में संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय को बढ़ाया गया है, जो निम्नानुसार है:-

वर्ष	**संरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय/बजट (करोड़ रु. में)**
2013-14	39,200
2022-23	87,336
2023-24	1,01,662
2024-25	1,14,022
2025-26	1,17,693
2026-27	1,20,389

2. मानवीय चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 6,665 रेलवे स्टेशनों पर कांटों एवं सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन के साथ विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली की व्यवस्था की गई है।
3. समपार रेलफाटकों पर संरक्षा का संवर्धन करने के लिए, 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 10,153 समपार रेलफाटकों पर अंतर्पाशन की व्यवस्था की गई है।
4. संरक्षा का संवर्धन करने के लिए 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार 6,665 रेलवे स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन द्वारा रेलवे स्टेशनों के पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
5. सिगनल प्रणाली की संरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे अनिवार्य समरूपता जांच, परिवर्तन कार्य प्रोटोकॉल, समापन आरेखण तैयार करने आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
6. प्रोटोकॉल के अनुसार सिगनल एवं दूरसंचार उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः बल दिया गया है।
7. लोको पायलटों की सतर्कता में सुधार लाने के लिए सभी रेलइंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) लगाए गए हैं।
8. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो शिरोपरि उपस्कर मास्ट से पहले मौजूद होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर चालक दल को आगे मौजूद सिगनल के बारे में सचेत किया जा सके।
9. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोको पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) उपलब्ध कराया जाता है जो लोको पायलटों को अगले थलचिह्नों यथा सिगनल, समपार रेलफाटकों आदि की दूरी जानने में समर्थ बनाते हैं।
10. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय आधुनिक रेलपथ संरचना इस्तेमाल की जा रही है जिसमें 60 किलोग्राम, 90 चरम तन्य सामर्थ्य पटरियां, लचीले जुड़नारों के साथ प्रीस्ट्रेस्ड

कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) सामान्य/चौड़ा आधार स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर पंखानुमा विन्यास के टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर शामिल हैं।

11. मानवीय त्रुटियों का न्यूनीकरण करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 आदि जैसी रेलपथ मशीनों के उपयोग द्वारा रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यांत्रिकीकरण।
12. रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और जोड़ों के वेल्डन से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पटरी पैनलों की आपूर्ति को अधिकतम करना, जिसके द्वारा संरक्षा में सुधार होता है।
13. दोष का पता लगाने और दोषपूर्ण पटरियों को समय पर हटाने के लिए पटरियों का पराश्रव्य दोष संसूचन परीक्षण (यूएसएफडी)।
14. अधिक लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डन के उपयोग को कम करना और पटरियों के लिए बेहतर वेल्डन तकनीक अर्थात फ्लैश बट वेल्डन को अपनाना।
15. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ अभिलेखी यानों) द्वारा रेलपथ ज्यामिति की निगरानी।
16. वेल्डन/पटरियों की दरारों का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर गश्त लगाना।
17. टर्नआउट नवीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्डन योग्य सीएमएस पारणों का उपयोग।
18. संरक्षा पद्धतियों के अनुपालन हेतु कर्मचारियों की निगरानी और जागरूक करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण किए जाते हैं।
19. रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली अर्थात युक्तिसंगत अनुरक्षण आवश्यकता का निर्णय लेने और साधन-सामग्री को इष्टतम बनाने के लिए रेलपथ डेटाबेस और निर्णय सहायता प्रणाली को अपनाया गया है।
20. रेलपथ की संरक्षा संबंधी मुद्दों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, गलियारा ब्लॉक, कार्यस्थल संरक्षा, मानसून पूर्वोपाय आदि के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।
21. रेलगाड़ियों का संरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों) का निवारक अनुरक्षण किया जाता है।
22. पारंपरिक सडिका डिजाइन के रेल डिब्बों को एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बों से बदला जा रहा है।
23. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन मार्ग पर बिना चौकीदार वाले सभी समपारों को समाप्त कर दिया गया है।
24. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान आंकी गई दशाओं के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है।
25. भारतीय रेल ने सभी सवारी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक "अग्नि सूचनाएं" प्रदर्शित की गई हैं। प्रत्येक सवारी डिब्बे में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग लगने की रोकथाम करने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' के बारे में शिक्षित और सचेत किया जा सके। इसमें सवारी डिब्बों के भीतर

ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को नहीं ले जाने, धूम्रपान नहीं करने, जुर्माना आदि से संबंधित संदेश शामिल हैं।

26. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और रसोई यानों में आग संसूचन एवं शमन प्रणाली तथा नवनिर्मित सवारी डिब्बों में आग एवं धूम्र संसूचन प्रणाली उपलब्ध करा रही हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा सवारी डिब्बों में चरणबद्ध विधि से उत्तरोत्तर फिटमेंट किया रहा है।
27. कर्मचारियों को नियमित परामर्श और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
28. दिनांक 30.11.2023 की राजपत्र अधिसूचना के तहत भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम में चलायमान ब्लॉक प्रत्यय की शुरूआत की गई थी, जिसमें चलायमान आधार पर अग्रिम में 52 सप्ताह तक परिसंपत्तियों के एकीकृत अनुरक्षण/मरम्मत/ प्रतिस्थापन के कार्य की योजना बनाई जाती है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

रेलवे द्वारा किए गए बेहतर अनुरक्षण पद्धतियों, प्रौद्योगिकीय सुधारों, बेहतर अवसंरचना और चल स्टॉक आदि के संबंध में संरक्षा संबंधी कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	**मद**	**2004-05 से 2013-14**	**2014-15 से 2024-25**	**2004-14 की तुलना में 2014-25**
प्रौद्योगिकीय सुधार				
1.	उच्च-गुणवत्ता वाली पटरियों का उपयोग (60 किलोग्राम) (किलोमीटर)	57,450 किलोमीटर	1.43 लाख किलोमीटर	2 गुना से अधिक
2.	अधिक लंबी रेल पटरियां (260 मीटर) (किलोमीटर)	9,917 किलोमीटर	77,522 किलोमीटर	लगभग 8 गुना
3.	इलेक्ट्रोनिक अंतर्पाशन (रेलवे स्टेशन)	837 स्टेशन	3,691 स्टेशन	4 गुना से अधिक
4.	कोहरा पास संरक्षा उपकरण (अदद)	31.03.14 तक 90 अदद	31.03.25 तक 25,939	288 गुना
5.	थिक वेब स्विच (अदद)	शून्य	28,301 अदद	
बेहतर अनुरक्षण पद्धतियां				
1.	प्राथमिक रेल नवीकरण (रेलपथ किलोमीटर)	32,260 किलोमीटर	49,941 किलोमीटर	1.5 गुना
2.	यूएसएफडी (पराश्रव्य दोष संसूचन) वेल्डन परीक्षण (अदद)	79.43 लाख	2 करोड़	2 गुना से अधिक

3.	वेल्डन की खराबियां (अदद)	2013-14 में: 3699 अदद	2024-25 में: 370 अदद	90% कमी
4.	पटरियों में दरारें (अदद)	2013-14 में: 2548 अदद	2024-25 में: 289 अदद	88% से ज्यादा कमी
बेहतर अवसंचना और चल स्टॉक				
1.	जोड़े गए नए रेलपथ किलोमीटर (रेलपथ किलोमीटर)	14,985 किलोमीटर	34,428 किलोमीटर	2 गुना से अधिक
2.	फ्लाईओवर (आरओबी)/ अंडरपास (आरयूबी) (अदद)	4,148 अदद	13,808 अदद	3 गुना से अधिक
3.	बड़ी लाइन पर बिना चौकीदार वाले समपार (अदद)	31.03.14 तक: 8948	31.03.24 तक: शून्य (31.01.19 तक सभी समाप्त कर दिए गए)	समाप्त कर दिए गए
4.	एलएचबी सवारी डिब्बों का विनिर्माण (अदद)	2,337 अदद	42,677	18 गुना से अधिक

1. कवच स्वदेश विकसित स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षा प्रणाली (एटीपी) है। कवच अत्यधिक प्रौद्योगिकी प्रधान प्रणाली है, जिसके लिए सर्वोच्च स्तर के संरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है।
2. यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर रेलगाड़ी चलाने में सहायता करता है और यह खराब मौसम के दौरान रेलगाड़ी को संरक्षित ढंग से चलाने में भी सहायता करता है।
3. यात्री गाड़ियों पर पहला फील्ड परीक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। इस प्रकार प्राप्त अनुभव और निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकनकर्ता (आईएसए) द्वारा प्रणाली के निष्पक्ष संरक्षा मूल्यांकन के आधार पर, कवच संस्करण 3.2 की आपूर्ति के लिए 2018-19 में तीन फर्मों को अनुमोदित किया गया था।
4. कवच को जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय एटीपी प्रणाली के रूप में अपनाया गया।
5. कवच प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल हैं:
 i. प्रत्येक स्टेशन, ब्लॉक खण्ड पर स्टेशन कवच का संस्थापन।
 ii. पूरे रेलपथ की लंबाई में आरएफआईडी टैग का संस्थापन।
 iii. समग्र खंड में दूरसंचार टावरों का संस्थापन।
 iv. रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना।
 v. भारतीय रेल पर चल रहे प्रत्येक रेल इंजन पर लोको कवच का प्रावधान।

6. दक्षिण मध्य रेल के 1465 मार्ग किलोमीटर पर कवच संस्करण 3.2 के संस्थापन और प्राप्त अनुभव के आधार पर आगे और सुधार किए गए। अंततः आरडीएसओ द्वारा दिनांक 16.07.2024 को कवच विशिष्टि संस्करण 4.0 को अनुमोदित किया गया।
7. कवच 4.0 संस्करण में विविध रेल नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं। यह भारतीय रेल की संरक्षा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अल्प अवधि के भीतर, भारतीय रेल ने स्वचालित रेलगाड़ी संरक्षण प्रणाली विकसित की है, का परीक्षण किया गया और उसे संस्थापित करना शुरू कर दिया है।
8. कवच संस्करण 4.0 में किए गए प्रमुख सुधारों में अवस्थिति सटीकता में वृद्धि, बड़े यार्डों में सिगनल संबंधी पहलुओं की बेहतर जानकारी, ओएफसी पर स्टेशन-से-स्टेशन कवच इंटरफ़ेस और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से सीधा इंटरफ़ेस शामिल है। इन सुधारों के साथ, कवच संस्करण 4.0 को भारतीय रेल में बड़े पैमाने पर लागू करने की योजना है।
9. व्यापक और विस्तृत परीक्षणों के उपरांत, कवच संस्करण 4.0 को 1638 मार्ग किलोमीटर पर सफलतापूर्वक चालू किया गया है, जिसमें शामिल उच्च घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्ग निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	रेल खंड	प्रगति (मार्ग कि.मी.)
(1)	**दिल्ली-मुंबई मार्ग:**	
i	जंक्शन केबिन - पलवल – मथुरा - नागदा खंड	667
ii	वडोदरा - अहमदाबाद खंड	96
iii	वडोदरा - विरार खंड	336
(2)	**दिल्ली-हावड़ा मार्ग:**	
i	गया सरमाटांड़ खंड	93
ii	छोटा अमबाना - बर्द्धमान - हावड़ा खंड	260
iii	सूबेदारगंज-कानपुर	186

10. इसके अलावा, भारतीय रेल के सभी जीक्यू, जीडी, एचडीएन और चिह्नित रेलखंडों को कवर करते हुए 24,427 मार्ग किलोमीटर पर कवच के रेलपथ साइड कार्यों का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है।
11. **23.03.2026 के अनुसार दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा गलियारों समेत उच्च घनत्व वाले मार्गों पर कवच के प्रमुख मदों की प्रगति निम्नानुसार है:**

क्र.सं.	मदें	प्रगति
i	ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	8575 कि.मी.
ii	दूरसंचार टावरों का संस्थापन	1182 अदद

iii	स्टेशन डेटा सेंटर	767 स्टेशन
iv	रेलपथ साइड उपकरणों का संस्थापन	7078 मार्ग कि.मी.
v	रेल इंजनों में कवच का प्रावधान	4,254 अदद

12. इसके अलावा, 8,979 विद्युत रेल इंजनों और 1200 ईएमयू/एमईएमयू के संस्थापन का कार्य किया गया है।
13. सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय रेल के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में कवच पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 61,785 से अधिक तकनीशियनों, ऑपरेटरों और इंजीनियरों को कवच प्रौद्योगिकी के विषय पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसमें लगभग 52,317 लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट सम्मिलित हैं। यह पाठ्यक्रम इरिसेट के सहयोग से तैयार किया गया है।
14. कवच को स्टेशन सहित रेलपथ साइड उपस्करों के प्रावधान की लागत लगभग 50 लाख रुपए/कि.मी. है और इंजनों पर कवच के उपस्करों के लगाए जाने की लागत लगभग 80 लाख रुपए/रेलइंजन है।
15. फरवरी, 2026 तक 'कवच' प्रणाली से संबंधित कार्यों पर कुल 2,763.90 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान 1673.19 करोड़ रुपये निधि का आबंटन किया गया है। कार्यों की प्रगति के अनुसार अपेक्षित निधि उपलब्ध कराई गई है।

<u>अमृत भारत स्टेशन योजना:</u>

रेल मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है।

इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लान बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
- रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों तरफ के साथ एकीकरण
- रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
- लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प की व्यवस्था
- प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

- प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में, आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता अनुसार दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधानों, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की संकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1,338 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है।

<u>स्टेशन जहां कार्य पूरे किए जा चुके है:</u>

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक, 180 रेलवे स्टेशनों पर निर्माण-कार्य पूरे हो चुके हैं। अभी तक निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों पर कार्य पूरे किए गए हैं:

अलनावर, अंब अंदौरा, अंबिकापुर, आमगांव, आनंदपुर साहिब, अनारा, कालडि के लिए अंगमालि, अयोध्या धाम, बादामी, बागलकोट, बैजनाथ पपरोला, बलरामपुर, बंतावाला, बाराभूम, बारामती, बरेली सिटी, बारीपदा, बाड़मेर, बरपाली, बेगमपेट, बेओहारी, भानुप्रतापपुर, भिलाई, भिंड, बिजनौर, बिमलगढ़, बोम्मिडी, बूंदी, चांदा फोर्ट, चालक्कुडि, चंगनास्सरी, चेन्नै पार्क, छिंदवाड़ा, चिदंबरम, चिंचपोकली, चिन्नसेलम, चिरयिनकीझ, कटक, डाकोर, डेरोल, देशनोक, देवलाली, धारवाड़, धुले, डोंगरगढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतेहपुर शेखावाटी, फरोक, गडग, गंगापुर सिटी, गोड्डा, गोधरा जंक्शन, गोगामेरी, गोकक रोड, गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदगढ़, गोविंदपुरी, गोविंदपुर रोड, हाफिजपेटा, हैबरगांव, हल्दिया, हापा, हरपालपुर, हाथरस सिटी, होडल, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जैसलमेर, जाम जोधपुर, जाम वनथली, जयचण्डी पहाड़, जुन्नार देव, काकीनाडा टाउन, कल्याणी घोषपारा, कामाख्यागुड़ी, कनालुस जंक्शन, कराईकुडी जंक्शन, करमसद, करीमनगर, कटनी साउथ, केडगांव, खैरथल, खंभालिया, खलीलाबाद, कोप्पल, कोसंबा जंक्शन, कुलित्तुरई, कुट्टीपुरम, लासलगांव, लिंबडी, लोहरदगा, लोणंद जंक्शन, माहे, महुवा, मैलानी, मंडल गढ़, मंडावर महवा रोड, मधुपुर, मांबलम, मनापराई, मंडी डबवाली, मंगलागिरी, मन्नारगुडी, माटुंगा, एम.सी.एस छतरपुर, मीठापुर, मोरप्पुर, मोरबी, मुक्तसर, मुनिराबाद, मूरी जंक्शन, मुर्तिजापुर जंक्शन, नैनपुर जंक्शन, नंदुरा, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन, निडदवोलु जंक्शन, निलांबूर रोड, ओखा, ओरछा, पालिताना, पानागढ़, पनकी धाम, परेल, परलाखेमुंडी, पीरपैंती, पिस्का, पुखरायां, पोल्लाच्चि जंक्शन, पोलूर, पोरबंदर, राजगढ़, राजमहल, राजुला जंक्शन, रामगुंडम, रामघाट हॉल्ट, रायनपाडु, सहारनपुर जंक्शन, साहिबजादा अजीत सिंह मोहाली, साहेबगंज, समखियाली, समलपट्टी, सांची, शंकरपुर, सावदा, सिवनी, शहद, शाजापुर, शोलावंदन, षोरणूर जंक्शन, श्रीधाम, सिद्धार्थ नगर, सिहोर जंक्शन, सिउरी, श्री बाला ब्रह्मेश्वर जोगुलम्बा, श्रीरंगम, श्रीविल्लिपुत्तूर, सेंट थॉमस माउंट, सुल्लुरपेटा, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तालचेर, तामलुक, थावे, तिरुवारूर जंक्शन, तिरुवण्णामलै,

तृप्पुणित्तुरा, तुनी, उझानी, उरकुरा, उत्राण, वडकारा, वडाला रोड, विदिशा, वृद्धाचलम जंक्शन, वडक्कांचेरि, वारंगल।

अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी विकास संबंधी गतिविधियां तीव्र गति से शुरू की गई हैं और इनमें से कुछ रेलवे स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

- **तिरुपति रेलवे स्टेशन:** दक्षिण दिशा में नया द्वितीय प्रवेश स्टेशन भवन, 2 अदद एयर कॉनकोर्स और सीवेज ट्रीटमेंट संयत्र के संरचनात्मक कार्य पूरे हो गए हैं। दक्षिण दिशा में नया द्वितीय प्रवेश स्टेशन भवन और एयर कॉनकोर्स का फिनिशिंग कार्य, उत्तर दिशा में स्टेशन भवन का संरचनात्मक कार्य, प्लेटफ़ॉर्म शेल्टर, लिफ्ट और एस्केलेटर के कार्य शुरू किए गए हैं।
- **नेल्लूर स्टेशन:** पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ की दिशाओं के स्टेशन इमारतों और एयर कॉनकोर्स के संरचनात्मक, चिनाई एवं प्लास्टर संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के स्टेशन भवन के फिनिशिंग कार्य और एयर कॉनकोर्स के सबवे विस्तार, पार्किंग और मल जल उपचार संयंत्र कार्य शुरू किए गए हैं।
- **बैंगलोर कैंटोंमेंट स्टेशन:** दक्षिण की ओर डायवर्जन रोड, प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर की ओर छात्रावास, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन भवन के कार्य पूरे हो गए हैं। दक्षिण दिशा की ओर का स्टेशन भवन, उत्तर दिशा की ओर का स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र और पैदल पार पुल के कार्य शुरू किए गए हैं।
- **कोटा जंक्शन स्टेशन:** फ्रंट प्रस्थान हॉल, फ्रंट आगमन हॉल, पिछली ओर स्टेशन बिल्डिंग के संरचनात्मक कार्य पूरे गए हैं। फ्रंट प्रस्थान हॉल, पिछली ओर स्टेशन बिल्डिंग एयर कॉनकोर्स निर्माण, थ्रू रूफ, परिचलन क्षेत्र के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- **भुवनेश्वर स्टेशन:** पश्चिम और पूर्वी दिशा की स्टेशन भवन और एयर कॉनकोर्स के संरचनात्मक कार्य पूरे हो गए हैं। स्टेशन के पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर का उत्थापित ड्राइववे, ऊपरी पैदल पुल के विस्तार, प्लेटफॉर्म शेल्टर का कार्य शुरु किया गया है। पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर का स्टेशन भवन, एमईपी (यांत्रिक, बिजली एवं प्लंबिंग) का कार्य, एचवीएसी (तापन, वेंटिलेशन और एयर कंडिशनिंग) और एस्केलेटर्स के परिष्करण कार्य शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और चलायमान प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य स्टेशन की कोटि/दशा/यातायात संभलाई आदि के आधार पर निष्पादित किए जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, विद्युत/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, सामान्यतः अमृत भारत स्टेशन योजना सहित रेलवे स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण का वित्तपोषण योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएँ' के अंतर्गत किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का ब्यौरा क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या रेलवे स्टेशन-वार या राज्य-वार। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत 12,120 करोड़ रुपये का निधि आबंटन किया गया है और अभी तक 11,892 करोड़ रुपये (फरवरी, 2026 तक) का व्यय उपगत किया गया है।

<u>सब्सिडी:</u>

भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है तथा 2024-25 में यात्री टिकटों पर 60,239 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। यह राशि रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 43% रियायत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रुपए है, तो टिकट का मूल्य केवल 57 रुपए है। यह सब्सिडी सभी यात्रियों को दी जा रही है। इस सब्सिडी के अलावा, दिव्यांगजनों की 4 कोटियों, रोगियों की 11 कोटियों और विद्यार्थियों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि के अतिरिक्त भी रियायतें दी जा रही हैं।
